

Notif No. 1359



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 281]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 19, 1976/ज्येष्ठ 29, 1898

No. 281]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 19, 1976/JYAISTHA 29, 1898

इस भाग में मित्र पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 19th June 1976

S.O. 420(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

- (1) These rules may be called the Income-tax (Fifth Amendment) Rules, 1976.
- (2) They shall come into force with effect from the 21st day of June, 1976.
2. In sub-rule (1) of rule 12 of the Income-tax Rules, 1962, after sub-clause (i) of clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that it shall not be necessary for any person furnishing a return of income relating to the assessment year commencing on the 1st day of April, 1976 or any earlier assessment year to fill in Part IV or Part V of the said Form.”.

[No. 1359/F. No. 142/29/76-TPL]

O. P. BHARDWAJ, Secy.

Shri. R.S.
26/6

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 19 जून, 1976

का० आ० 420 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाया है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 1976 है।
(2) यह 1976 के जून के 21वें दिन प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 12 के उप-नियम (1) में, खण्ड (ख) के उप-खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु 1976 के अप्रैल के प्रथम दिन प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष या किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से अंशित आय को विवरणो प्रस्तुत करने वाले किसी व्यक्ति के लिए, उक्त प्ररूपक भाग 4 या भाग 5 को भरना आवश्यक नहीं होगा।

[सं० 1359/फा० सं० 142(29)/76-टी० पी० एल]

ओ० पी० भारद्वाज, सचिव।